फर्द अहकाम

शीनाक्षीजी बनाम देवव्रत

SDM Bassi

121/22

... आज्ञा या ...कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
..1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रा. पत्र 09R9 CPC व प्रा. पत्र 09R7 CPC (रेस्टोरेशन प्रा. पत्र) पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31.1.25 को पेश हो।	
1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वकील पक्षकारान की पूर्व में अपील सं. 9/2006 को पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रा. पत्र 09R9 CPC पर बहस सुनी गयी थी। प्रार्थी ने प्रा. पत्र अन्तर्गत 09R9 CPC पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त प्रा. पत्र अपील सं. 9/2006 दिनांक 4/3/14 के अन्तर्गत न्यायालय आदेश दिनांक 16.6.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के मध्य लोक अदालत में पेश होकर दिनांक 30.6.2017 को राजीनामा करने में नियत करने का आदेश	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

फर्द आहकाम

बनाम

नाम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		प्रार्थना पत्र की पत्रावली की नकल लेने से दिनांक 30.6.2017 को उसमें जानकारी हुई। उपरोक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 30.6.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी प्रार्थीगण के खारिज कर दिया जबकि प्रार्थीगण दिनांक 16.6.1[illegible] को कैम्प लालगढ़ में उपस्थित थे जिसकी उपस्थिति के समर्थन में प्रार्थना पत्र पत्रावली सं. 14/14 अन्तर्गत 09 L[illegible] राजस्व अन्तर्गत धारा 88, 053, 188 RTA 1955 बाबत खातेदारी अधिकार विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रति संलग्न है दिनांक 16.6.17 को प्रार्थना पत्र संख्या 12/14 में कैम्प लालगढ़ तहसील बस्सी में कोई जानकारी नहीं थी एवं कोई आवाज नहीं दी गयी इसके समर्थन में दिनांक 16.6.2017 को मुकदमे में 24.8.17 की तारीख नियत की गयी थी जिस बाबत प्रार्थी वकील की डायरी की छाया प्रति संलग्न है एवं इसी कारण दिनांक 30.6.2017 को न्यायालय में कैम्प बस्सी में उपस्थिति नहीं

उप खण्ड अधि[illegible]
बस्सी (जिला ज[illegible]

फर्द अहकाम

बनाम

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (जिला जयपुर)

...ज्ञा या ...ाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	नहीं दी गयी जो अनुपस्थिति दिनांक 30.6.2017 हुई वो इरादतन नहीं थी जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 3.8.2017 को प्रार्थना पत्र सं. 12/14 आर्डर 9 नियम 7 की प्रोसेडिंग की नकल लेते पर हुई जिससे 30 दिवस की अवधि में यह प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन प्रस्तुत किया जा रहा है एवं जो 30.6.2017 से अब तक हुए विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थना पत्र देरी माफी पृथक से संलग्न किया जा रहा है अतः प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन को न्यायहित में स्वीकृत फरमाया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया दिनांक 16.6.2017 को आगामी पेशी दिनांक 30.6.2017 दी गयी जिसकी जानकारी अपीलान्ट को थी अन्यथा न्यायालय के समक्ष दिनांक 3.8.2017 को नकल लेते हेतु न्यायालय के समक्ष क्यों उपस्थित हुए उक्त आधार	

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (जिला जयपुर)

फर्द अहकाम

बनाम

उप खण्ड अधिकारी

नाम न्यायालय बस्सी (जिला जयपुर)

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
		का कोई तथ्य प्रार्थी द्वारा अपने प्रा. में वर्णित नहीं है जब प्रार्थी को केस लालगढ़ में आगामी पेशी 24.8.17 की गई तो उक्त प्रकरण बाबत नकल लेने की आवश्यकता दिनांक 3.8.17 को क्यों हुई यह भी स्पष्ट नहीं है। सारे तथ्य बनावटी एवं मनगढ़ंत दर्ज किये गये है वकील उत्तर पक्ष की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस पेश की तथा कानूनी नजीरे पेश की। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं वकील उत्तर पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्रों पर की गयी बहस पर मनन करने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर प्रा. पत्र 0929 dt को पेश करने में हुई देरी को कन्डोन

उप खण्ड ...

बस्सी (जिला

फर्द अहकाम

बनाम

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

...ज्ञा या ...ही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	किया जाकर प्र. पत्र 09R9 cpc में वर्णित कारणों को दिनांक 30.6.17 को न्यायालय में उपस्थित न होने का समुचित कारण मानते हुए एवं न्यायहित को ध्यान में रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 09R9 cpc स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र 09R7 cpc (रेस्टोरेशन प्रा. पत्र) उनवान रीना बनर्जी बनाम देवव्रत मु.नं. 12/14 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील मूल प्र. पत्र मु.नं. 12/14 के साथ शामिल हो।	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)